



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2016/ज्येष्ठ 31, 1938

No. 264]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2016/JYAISTHA 31, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2016

सं. भा.आ.प.-18(1)/2016-मेडि./116133.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में आगे संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन), विनियमावली, 2016" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में विनियम 12 उप-विनियम 1, 2 और 4 में निम्नलिखित अभिवर्धन/आशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन किए जाएंगे:

विनियम 12 उप-विनियम 1 दूसरे पैराग्राफ में निम्नलिखित वाक्य का विलोप किया जाएगा:

"प्रति अकादमिक वर्ष डिग्री के लिए अधिकतम 6 स्नातकोत्तर सीटों की शर्त के अधीन"

विनियम 12 उप-विनियम 2 दूसरे पैराग्राफ में निम्नलिखित वाक्य का विलोप किया जाएगा:

"प्रति अकादमिक वर्ष डिग्री के लिए अधिकतम 6 स्नातकोत्तर सीटों की शर्त के अधीन"

विनियम 12 उप-विनियम 4 में, सहायक प्रोफेसर के संबंध में सामान्य टिप्पणी निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी:

"यदि कोई सहायक प्रोफेसर, यथा संशोधित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली 2000 के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक की सभी शर्तें पूरी करता है तो उसे स्नातकोत्तर अध्यापक माना जाएगा और तो उसे 1(एक) स्नातकोत्तर छात्र आंबटित किया जाएगा।"

डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./147]

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली, नामतः "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" भारत के राजपत्र के भाग— III खंड (4) में 07 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010, 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013 और 01/02/2016 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2016

**No. MCI-18(1)/2016-Med./ 116133.**— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” namely:-

1. (i) These regulations may be called the “Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2016.”  
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, the following additions / modifications / deletions / substitutions, shall be made in Regulation 12 Sub-Regulation 1,2 and 4 as under:-

Regulation 12 Sub-Regulation 1, the 2<sup>nd</sup> paragraph, the following sentence shall be deleted:-

*“subject to a maximum of 6 PG seats for the degree per academic year.”*

Regulation 12 Sub-Regulation 2, the 2<sup>nd</sup> paragraph, the following sentence shall be deleted:-

*“subject to a maximum of 6 PG seats for the degree per academic year.”*

Regulation 12 Sub-Regulation, 4 the General Note in respect of Assistant Professor shall be substituted as under:-

*“If an Assistant Professor fulfils all the requirements of Postgraduate Teacher as per Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 as amended, he shall be considered a Postgraduate teacher and shall be allotted 1 (one) Postgraduate student.”*

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT.-III/4/Exty./147]

**Foot Note:** The Principal Regulations namely, “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000 and amended *vide* Medical Council of India Notification dated 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010, 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013 and 01/02/2016.